176

संख्या–252 / XV-2 / 08(02) / 2010(मत्स्य)

प्रेषक,

आर0सी0 पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 14 मार्च, 2013:

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 मे 75 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना अन्तर्गत एकीकृत मत्स्य पालन (अर्न्तदेशीय जलकृषि एवं मात्स्यिकी का विकास) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2002 / एकीकृत म0पा0 / 2012–13, दिनांक 21–02–2013 के संदर्भ में एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–31013 / 2 / 2004–Fy(3), दिनांक 13–02–2013 द्वारा तथा पत्र संख्या––31013 / 2 / 2004–Fy(3), दिनांक 13–02–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 मे 75 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना एकीकृत मत्स्य पालन (अर्न्तदेशीय जलकृषि एवं मात्स्यिकी का विकास) योजनान्तर्गत कुल धनराशि ₹ 22.95 लाख की धनराशी आपके निर्वतन पर रखते हुये इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– उक्त अवमुक्त धनराशी ₹ 22.95 लाख में से ₹ 3.80 लाख अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के कल्याणार्थ व्यय की जायेगी ।

2– ₹ 22.95 लाख में से ₹ 7.00 लाख ताजा पानी में मत्स्य का विकास हेतु तथा ₹ 15.95 लाख समेकित मत्स्य पालन हेतु व्यय की जायेगी. ।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशी का आहरण कर धनराशी शनि देवा मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0, उधमसिहंनगर को उपलब्ध कराई जायेगी ।

4– मत्स्य विभाग द्वारा समिति से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, उपयोगिता प्रमाणक प्राप्त कर उस पर प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त दिनॉक 31 मार्च, 2013 तक शासन को उपलब्ध कराई जायेगी तथा लाभार्थियों की सूची भी उपलब्ध कराई जायेगी ।

5– स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है । यदि इसका उपयोग अन्यत्र किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

6– उक्त केन्द्र पोषित धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा किये गये प्राविधानों / दिशा–निर्देशों के तहत ही किया जायेगा।

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स वित्तीय नियम संग्रह डी0जी0एस0 एण्ड डी0की दर अथवा टेण्डर / कुटेशन के आधार पर किया जायेगा।

2/–

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–101–अर्न्तदेशीय मछली पालन –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये (75% केन्द्राश) –0101–एकीकृत मत्स्य पालन (अन्तर्देशीय जल कृषि एवं मत्स्यकीय का विकास) –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित प्राविधानानुसार www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0 संख्या तथा वित्त विभाग के अशा0 सं0–188(P)/वित्त–4/2013, दिनॉक 11–मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(आर0सी0 पाठक)
सचिव।

संख्या :2520/XV-2/08(02)2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।